भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त- I,

5-अशोक मार्ग,लखनऊ।

क्र० सं० 58-59/198/107/2008-09/ तक/आ आ- I/लख./ दिनांक:10.07.2009

आ दे श

विषयः आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी(5)(vi) के तहत मान्यता

(नियम 11AA(4) के अनुसार)

उमंग सुनहरा कल सेवा समिति,L-5/82, अलीगंज, लखनऊ, को इस कार्यालय के आदेश सं० **58-59/198/107/2008-09/ तक/आ आ- I/लख./ दिनांक 10.07.2009** द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के प्रयोजन से मान्यता दी जाती है। उपर्युक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है:-

1. दाता को जारी की गई पावती में आदेश की तारीख एवं संख्या तथा वैधता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
2. उक्त संस्था / न्यास आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा 139(4A) के अनुसार नियमित रूप से अपनी कर विवरणी दाखिल करेगा।
3. उक्त संस्था / न्यास अपने वर्तमान लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का अशोधन अथवा संशोधन बिना इस कार्यालय के पूर्व अनुमोदन के नहीं करेगा।
4. यह मान्यता **01.04.2008 से 31.03.2010** तक वैध है।
5. उपर्युक्त मान्यता की वैधता आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12AA(3) के प्रावधानों के अधीन है।

ह०-

(डी.सी.पन्त)

आयकर आयुक्त - I, लखनऊ।

समसंख्यक एवं दिनांक :

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. उपर्युक्त आवेदक को सूचनार्थ।
2. निर्धारण अधिकारी, परिक्षेत्र- I I, लखनऊ ।
3. अपर/संयु० आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र- I I, लखनऊ।अभिलेख सहित

(धनश्याम पाण्डेय)

आयकर अधिकारी, (मु) तकनीकी

कृते आयकर आयुक्त- I, लखनऊ।